

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 184/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री गोपाल लाल बैरवा पुत्र श्री गजानन्द बैरवा
2. श्रीमती कल्याणी देवी पत्नि श्री गोपाल लाल बैरवा  
निवासी:-प्लाट नम्बर 64, शिव शंकर नगर, ग्राम इन्द्रपुरी, टोल टेक्स, टोक रोड के पास,  
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती अनुराधा देवी पत्नि श्री राजु बैरवा  
निवासी:-प्लाट नम्बर 63-ए, शिव शंकर नगर, ग्राम इन्द्रपुरी, गोविन्दपुरा रोड, सीतापुरा,  
सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 19.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.06.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री गोपाल लाल बैरवा पुत्र श्री गजानन्द बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 64, शिव शंकर नगर, ग्राम इन्द्रपुरी, टोक रोड के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 75.20 वर्गगज को बन्धक रख कर 8,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध की है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

तल  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. दितीय संस्था के सुयोग्य अधिष्ठाता को नीचे से चुना गया। परावर्ती का नसीबार्दी अदालतकन किया गया।
4. प्राचीं दितीय संस्था को भारत का राजपत्र में दिनांक संश्लेषण की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को कम संख्या 24 पर सरकारी अधिनियम 2002 के तहत दितीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. परावर्ती के अदालतकन से स्पष्ट है कि प्राचीं दितीय संस्था ने अर्थात्गण को 8,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अर्थात्गण ने उपरोक्त वर्णित सम्बन्धित बन्धक के रूप में प्राचीं दितीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अर्थात्गण का ऋण खाना एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण दम्पती के सिद्ध बकाया ऋण राशि नये ब्याज कुल 10,58,857/- रुपये जमा करने हेतु अर्थात्गण को दिनांक 23.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अर्थात्गण द्वारा उक्त नोटिस का दितीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अर्थात्गण द्वारा दितीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में दम्पती योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत दितीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्बन्धित का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत दितीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्बन्धित का नौतिक कब्जा दिनाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राचीं दितीय संस्था के पक्ष में अर्थात् श्री गोपाल लाल बैरवा पुत्र श्री राजगण्ड बैरवा के स्वामित्व की सम्बन्धित प्लॉट नम्बर 84, शिव संकर नगर, वाम इन्द्रपुरी, टीक रोड के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 7520 वर्गगज का नौतिक रूप से कब्जा प्राचीं दितीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किए जाने आदेश दिव जता है।
7. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस थाना जयपुर को भेज कर सिद्धा जता की उक्त सम्बन्धित का कब्जा प्राचीं दितीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर दितीय संस्था को दिखाने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्दिष्ट कर एवं पाठना रिपोर्ट निजदाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। परावर्ती नम्बर से कम होकर दायित्व दायर हो।



अतिरिक्त आज दिनांक 19/01/2021 को भी हुजूरवास सुनाया गया।

19/1/21  
(असर सिंह मेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(काराखाना) जयपुर